सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

<u>प्रार्थना पत्र संख्या 12 / 17</u> निर्णय दिनांकः–04.05.2018

1. श्रीराम पुत्र बालूराम जाति ब्राहमण निवासी मलकीसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

–प्रार्थी

**–बनाम–**

1. साहबगर पुत्र चिमनगर जाति गौसाई निवासी मलकीसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, लूणकरनसर।

रेस्पोडेन्ट्स

**प्रार्थना पत्र विरूद्व आदेश दिनांक 24–12–2008**
**राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर**

<u>उपस्थितिः–</u>

1. श्री राजकुमार व्यास, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री सत्यपाल सहू, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

**–निर्णय–**

**1.** प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेश दिनांक 24–12–2008 के विरूद्व जिसके द्वारा प्रार्थी की अपील अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की गई, के विरूद्व इस न्यायालय में अन्तर्गत आदेश 41 नियम19 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत प्रस्तुत किया गया।

**2.** विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने बहस करते हुए बताया कि प्रार्थी द्वारा एक अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर के निर्णय दिनांक 21—12—1976 के विरूद्व न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई। न्यायालय हाजा द्वारा उक्त अपील दिनांक 05—03—1999 को स्वीकार कर ली गई एवं प्रार्थी को वादगत् भूमि का खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश प्रदान किया गया। उक्त आदेश के विरूद्व अप्रार्थी जो कि अपील में पक्षकार नहीं था ने माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। उक्त निगरानी माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा दिनांक 19—09—2003 को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की गई कि वे दोनों पक्षों को सुनकर पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करें। उक्त आदेश में दोनों पक्षों को दिनांक 10—11—2003 को उपस्थित होने के निर्देश प्रदान किये गये।

प्रकरण न्यायालय हाजा के समक्ष पुनः प्रेषित प्रकरण में हाजिर नहीं आने पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 24—12—2008 को अपील अपीलांट की अनुपस्थिति में अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दी गई। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट श्रीराम की मृत्यू दिनांक 27—11—2008 को हो चुकी थी। अपीलांट श्रीराम द्वारा प्रार्थीगण को उक्त अपील के बारे में कोई जानकारी प्रदान नहीं की गई थी। प्रार्थीगण के पास दिनांक 15—04—2017 को न्यायालय उपतहसीलदार, महाजन जिला बीकानेर का एक नोटिस प्रकरण सख्ंया 2/2017 से संबंधित इस आश्य का प्राप्त हुआ कि चक 15 एमकेडी के मुरब्बा नम्बर 162/1 के किला नम्बर 8, 11 से 13, 16 से 19 एवं 22 से 25 कुल 11 बीघा 10 बिस्वा भूमि का राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद हेतु साहबगर पुत्र चिमनगर निवासी मलकीसर अपने नाम दर्ज करवाना चाहता है, उक्त नोटिस प्राप्त होने पर प्रार्थीगण को न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील की जानकारी प्राप्त हुई। तत्पश्चात् प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 24—12—2008 की नकल आदि प्राप्त कर उक्त रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार जानकारी के दिन से प्रार्थना पत्र अन्दर मियांद शुमार करते हुए प्रार्थीगण का रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए न्यायहित में आवश्यक है कि उपरोक्त उनवानी अपील पुनः सुनवाई हेतु रेस्टोर की जाकर नम्बर पर ली जावे ताकि प्रार्थी के साथ न्याय हो सके।

4. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा निर्णित करते हुए इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि दोनों पक्षों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा उक्त प्रकरण रिमाण्ड किये जाने के उपरान्त प्रार्थीगण के पिता श्रीराम की तरफ से श्री नरसाराम जाखड़ ने दिनांक 14—08—2006 को वकालतनामा प्रस्तुत किया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के पिता को उक्त रिमाण्ड प्रकरण की पूर्ण जानकारी प्राप्त थी। तत्पश्चात् प्रार्थी के पिता श्रीराम की तरफ से उपस्थिति अधिवक्ता द्वारा हिदायत पैरवी नहीं होना दर्ज किये जाने पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 11—09—2008 को प्रार्थी के पिता अर्थात अपीलांट श्रीराम को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। तदुपरान्त दिनांक 01—10—2008 को पुनः रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये एवं दिनांक 02—12—2008 को पुनः वकील अपीलांट ने आईदा दिनांक को वकालतनामा प्रस्तुत करने का निवेदन किया गया। इस प्रकार यह तथ्य पूर्णतया स्पष्ट है कि तत्समय अपीलांट प्रार्थी के पिता श्रीराम को अपील की पूर्ण जानकारी प्राप्त थी।

उन्होंने आगे बताया प्रार्थीगण द्वारा उनके पिता की मृत्यु दिनांक 27—11—2008 को होना बताया गया है जबकि उससे पूर्व ही प्रार्थीगण के पिता जरिये अधिवक्ता उपस्थित आ चुके थे। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का यह कथन कि उन्हें अपील की जानकारी प्राप्त नहीं थी स्वीकार करने योग्य कथन नहीं है। प्रार्थीगण उक्त अपील अदम हाजरी व अदम पैरवी में दिनांक 24—12—2008 को खारिज करने के करीब 10 वर्ष उपरान्त अपील को रेस्टोर करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो स्पष्ट रूप से मियांद बाहर प्रार्थना पत्र है। ऐसी स्थिति में चूंकि प्रार्थीगण के पिता को तत्सयम अपील की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध थी वे जानबूझकर सम्पूर्ण जानकारी होते हुए भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आये है। अतः प्रार्थीगण का रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (अ) हस्तगत् प्रकरण में प्रार्थीगण के पिता श्रीराम पुत्र बालूराम द्वारा सहायक आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर के निर्णय दिनांक 21—12—1976 के विरूद्व न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई। न्यायालय हाजा द्वारा उक्त अपील दिनांक 05—03—1999 को स्वीकार कर ली गई एवं प्रार्थी को वादगत् भूमि का खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश प्रदान किया गया। उक्त आदेश के विरूद्व अप्रार्थी ने माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा दिनांक 19—09—2003 को निगरानी इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की गई कि वे दोनों पक्षों को सुनकर पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करें। उक्त आदेश में दोनों पक्षों को दिनांक 10—11—2003 को उपस्थित होने के निर्देश प्रदान किये गये।

(ब) माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा उक्त प्रकरण रिमाण्ड किये जाने के उपरान्त प्रार्थीगण के पिता श्रीराम की तरफ से श्री नरसाराम जाखड़ ने दिनांक 14—08—2006 को वकालतनामा प्रस्तुत किया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के पिता को उक्त रिमाण्ड प्रकरण की पूर्ण जानकारी प्राप्त थी। तत्पश्चात् प्रार्थी के पिता श्रीराम की तरफ से उपस्थिति अधिवक्ता द्वारा हिदायत पैरवी नहीं होना दर्ज किये जाने पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 11—09—2008 को प्रार्थी के पिता अर्थात अपीलांट श्रीराम को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। तदुपरान्त दिनांक 01—10—2008 को पुनः रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये एवं दिनांक 02—12—2008 को पुनः वकील अपीलांट ने आईदा दिनांक को वकालतनामा प्रस्तुत करने का निवेदन किया गया। इस प्रकार यह तथ्य पूर्णतया स्पष्ट है कि तत्समय अपीलांट प्रार्थी के पिता श्रीराम को अपील की पूर्ण जानकारी प्राप्त थी।

(स) प्रस्तुत पत्रावली में न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट के पिता को तत्समय नियमानुसार रजिस्टर्ड नोटिस विभिन्न तारीखों में जारी किये गये थे। न्यायालय द्वारा जारी नोटिसों की पालना में प्रार्थीगण के पिता की तरफ से पूर्व अधिवक्ता ने वकालतनामा प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया तथा यह अंकित किया गया कि आगामी पेशी पर वकालतनामा पेश कर देंगे अन्यथा अपील खारिज कर दी जावे।

**(द)** तत्पश्चात् दिनांक 24—12—2008 को अपीलांट अर्थात प्रार्थीगण के पिता ना तो स्वयं उपस्थित आये ना ही पूर्व पेशी पर अधिवक्ता द्वारा किये गये कथनानुसार वकालतनामा प्रस्तुत किया गया व पूर्व अभिभाषक ने हिदायत पैरवी नहीं होने का कथन किया। इसप्रकार यह तथ्य स्पष्ट है कि अपीलांट श्रीराम को अपील की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त थी। प्रार्थीगण के पिता जानबूझकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित आने में गुरेज करते रहे है।

**(य)** इस प्रकार पक्षकारों को न्याय प्रक्रिया का अपने हितों या इच्छानुसार बेजा लाभ उठाने की प्रवृति को हतोत्साहित करना न्याय हित मे समीचीन है। पक्षकारों को पूर्व में अपने कृत्यों के न्यायिक परिणामों के बारे में सावचेतता बरतनी चाहिए। लिहाजा इस स्तर पर पुनः अपने ही पूर्व कथनों से विमुख होने का अवसर देना उचित नहीं समझते।

**(र)** लिहाजा ऐसी स्थिति में प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है।

**7.** अतः बिन्दु संख्या 6 के मद संख्या अ से र के प्रकाश में प्रार्थी का प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 सीपीसी खारिज किया जाता है।

**8.** निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 04.05.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर